न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

(पीठासीन अधिकारीः श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.)

अपीलार्थी

राजस्व अपील संख्याः 09/2023

स्वर्गीय श्री तेजाराम पुत्र तोलाजी, जाति– मेघवाल, निवासी– सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही के उत्तराधिकारीगण :–

(1) स्वर्गीय श्री चेतन प्रकाश पुत्र स्व. श्री तेजाराम जी, जाति–मेघवाल, निवासी– सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही के उत्तराधिकारीगण :–

1/1. श्रीमती प्रेमलता पत्नि स्व. श्री चेतनप्रकाश, जाति– मेघवाल, निवासी– सिरोही

1/2. श्री जीवन गोयल पुत्र स्वर्गीय श्री चेतनप्रकाश, जाति– मेघवाल, निवासी– सिरोही

1/3. श्री सुनील गोयल पुत्र स्वर्गीय श्री चेतनप्रकाश, जाति– मेघवाल, निवासी– सिरोही

1/4. श्री सुरेन्द्र गोयल पुत्र स्वर्गीय श्री चेतनप्रकाश, जाति–मेघवाल, निवासी– सिरोही

(2) स्वर्गीय श्री भंवरलाल गोयल पुत्र तेजाराम जी, जाति–मेघवाल, निवासी– सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही के उत्तराधिकारीगण :–

2/1. श्रीमती जमना पत्नि भंवरलालजी, जाति– मेघवाल, निवासी– सिरोही

2/2. स्व. श्री गिरीश पुत्र स्व. श्री भंवरलाल जी, जाति– मेघवाल, निवासी– सिरोही के उत्तराधिकारीगण :–

2/2/1. श्रीमती लक्ष्मी पत्नि स्व. श्री गिरीश जी गोयल, जाति– मेघवाल, निवासी– सिरोही

2/2/2. परी उर्फ अदिती पुत्री स्व. श्री गिरीश जी गोयल, जाति–मेघवाल, निवासी–सिरोही, नाबालिग की कुदरती वली माता श्रीमती लक्ष्मी पत्नि गिरीश जी गोयल, निवासी– सिरोही

2/2/3. देवीना उर्फ ऐंजल पुत्री स्व. श्री गिरीश जी मेघवाल, निवासी– सिरोही, नाबालिग की कुदरती वली माता श्रीमती लक्ष्मी पत्नि गिरीश जी गोयल, जाति–मेघवाल, निवासी–सिरोही

(3) श्री नितीन पुत्र भंवरलाल जी, जाति–मेघवाल, निवासी– सिरोही, तह. व जिला– सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

1. नगर परिषद्, सिरोही, तहसील– सिरोही, जिला– सिरोही
   1/1. अध्यक्ष, नगर परिषद्, सिरोही
   1/2. आयुक्त, नगर परिषद्, सिरोही
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला– सिरोही
3. श्रीमती कमला पत्नि नवीन जी डांगी पुत्र स्वर्गीय तेजाराम जी, निवासी– 52, शिवाजी नगर, सिविल लाइन्स, सिरोही
4. श्रीमती सुन्दर पत्नि जगदीश प्रसाद जी डांगी पुत्री स्वर्गीय तेजारामजी, निवासी– 282 सी सरस्वती नगर, बासनी, जोधपुर।
5. श्री छगनलाल पुत्र श्री पूराराम मेघवाल निवासी मेघवालों का वास गांव गोयली तहसील व जिला सिरोही।

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री नरेन्द्र चारण, अपीलार्थीगण की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री हरिओम दत्ता, प्रत्यर्थी संख्या–1 की ओर से
3. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या– 2 की ओर से।
4. अधिवक्ता श्री उमाराम रेबारी, प्रत्यर्थी संख्या–5 की ओर से।

–: निर्णय :–   दिनांक 01 अगस्त, 2025

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील तहसीलदार, सिरोही द्वारा ग्राम सिरोही–II, पटवार हल्का सिरोही के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2220 दिनांक 08.12.2017 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही में प्रस्तुत की गई, जो न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा राजस्व अपील संख्या 03/2018 अनवान स्व. श्री तेजाराम के उत्तराधिकारीगण बनाम नगर परिषद सिरोही व अन्य के नाम से दर्ज रजिस्टर की जाकर वाद सुनवाई पक्षकारान दिनांक 23.03.2022 को निर्णय पारित किया गया। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.03.2022 के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा माननीय

जिला कलेक्टर, सिरोही

......पेज दो पर

Scanned with CamScanner

न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर में प्रस्तुत अपील में माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा राजस्व अपील संख्या 79/2022 में पारित निर्णय दिनांक 30.12.2022 के द्वारा अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को आंशिक स्वीकार कर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.03.2022 को निरस्त कर प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी.स्पे. अपील संख्या 1103/2017 में पारित आदेश दिनांक 19.08.2019 के परिप्रेक्ष्य में नए सिरे से आदेश पारित करने के निर्देश के साथ इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित की गई।

(2) माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर के निर्णय की पालना में अपील को इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अपीलार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र चारण उपस्थित हुए। प्रत्यर्थी संख्या–1 (एक) की ओर से अधिवक्ता श्री हरिओम दत्ता उपस्थित हुये। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या–2 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या–3 (तीन) व 4 (चार) को इस न्यायालय द्वारा जारी सम्मन की पंजीकृत डाक से तामिल होने के बावजूद भी प्रत्यर्थी संख्या– 3 व 4 उपस्थित नही हुए। प्रत्यर्थी संख्या–5 (पांच) की ओर से अधिवक्ता श्री उमाराम रेबारी उपस्थित हुये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अपीलार्थीगण की ओर से संशोधित अनवान पेश किया, जो शामिल मिसल किया गया।

(3) प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 जो कि स्वर्गीय तेजाराम जी पुत्र तोलाजी के पुत्र, पुत्री, पोते, पोतीया व पौत्रवधु है एवं स्वर्गीय तेजाराम जी के उत्तराधिकारी है। स्व. श्री तेजाराम जी की पुश्तैनी कृषि भूमि सिरोही नगर में मय कुएं के स्थित है। तेजाराम जी अनुसूचित जाति के व्यक्ति थे, जिन पर स्थानीय प्रशासन एवं प्रशासक, नगरपालिका, सिरोही ने दबाव देकर उनकी पुश्तैनी कृषि भूमि में से कुछ भूमि व कुआं छोडकर शेष कृषि भूमि को पंजीकृत विक्रय विलेख के जरिये नगरपालिका (वर्तमान नगर परिषद) सिरोही के लिये क्रय की थी। स्वर्गीय तेजाराम जी अनुसूचित जाति के व्यक्ति थे एवं क्रेता अनुसूचित जाति का नही होने से इस विक्रय प्रलेख व उसका पंजीयन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 व भारतीय पंजीयन अधिनियम के तहत विपरित होने से तत्कालीन राजस्व अधिकारियों ने इस विक्रय पंजीयन को विधि विरुद्ध मानते हुए विक्रय विलेख के आधार पर नगरपालिका के पक्ष में नामान्तरकरण नही भरा व नगरपालिका के नाम से खातेदारी दर्ज नही की। यह कि नामान्तरकरण संख्या 2220 पटवारी हल्का द्वारा दायर किया गया जिसे तहसीलदार, सिरोही द्वारा दिनांक 29.06.2005 को खारिज कर दिया था। प्रकरण में तहसीलदार, सिरोही को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 175 के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाने पर यह कार्यवाही हुई जो दोनों बार सक्षम न्यायालय से खारिज हुई। नगरपालिका, सिरोही ने स्वर्गीय श्री तेजाराम जी के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा जारी पत्र दिनांक 15.09.2006 एवं न्यायालय के आदेश दिनांक 29.12.2006 को चुनौती दी एवं इस रिट याचिका संख्या 1251/2008 में दिनांक 11.10.2017 को निर्णय किया गया, जिसमें राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 15.09.2006 व आदेश न्यायालय दिनांक 29.12.2006 को सेट एसाईड करने व नामान्तरकरण संख्या 2220 जो नगर पालिका के हक में पटवारी हल्का द्वारा भरा गया था, जो भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तथ्यों के अंकन सही होने व तहसीलदार द्वारा मार्गदर्शन आने पर प्रस्तुत करने के इन्द्राज को कन्फर्म करने का निर्णय दिया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति के साथ एक आवेदन नगरपरिषद्, सिरोही की ओर से उपखण्ड अधिकारी, सिरोही को प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर वाद खारिज किया जावे। जिस पर न्यायालय ने राज्य सरकार के पेरोकार, स्वर्गीय तेजाराम जी के अधिवक्ता एवं नगर परिषद् के अधिवक्ता से आवेदन पर सुनवाई कर आवेदन को स्वीकार कर वाद को खारिज करने का निर्णय दिया। उसके वाद संख्या 52/2007 निर्णय दिनांक 27.11.2007 है। राज्य सरकार को स्वर्गीय तेजाराम जी की विक्रय की गई भूमि में कोई रुचि नही रहने से व पूर्व में नगरपालिका द्वारा विक्रय के लिये दी गई रकम को 6 प्रतिशत ब्याज से लौटाये जाने की मांग से स्पष्ट हो गया कि नगर परिषद को भी इस भूमि में कोई रुचि नही है। स्वर्गीय श्री तेजाराम जी के उत्तराधिकारियों ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.10.2017 को राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के डिवीजन बेंच में अपील कर चुनौती दी है। उसके बाद माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की डिवीजन बेंच द्वारा स्पेशल अपील रिट संख्या 1103/2017 में पारित निर्णय दिनांक 19.08.2019 के विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में रिट/अपील प्रस्तुत की है जो अभी तक माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है एवं जब तक

4

जिला कलेक्टर, सिरोही

....पेज तीन पर

Scanned with CamScanner

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में कोई निर्णय नही होता है, तब तक राजस्व रेकर्ड की पूर्ववर्ती स्थिति बहाल रखी जानी आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने राजस्थान सरकार के वित्त (कर) विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प.2(26)वित्त/कर/2019 दिनांक 03.12.2021 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अनुसूचित जाति/जनजाति की भूमि को गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के अलावा किसी भी संस्था, ट्रस्ट, कम्पनी को भी हस्तान्तरित नही की जा सकती है। अपीलार्थीगण के वकील ने बहस के दौरान राजस्व (ग्रुप–7) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांकःप.3(136)राज–7/2008/15/2019 दिनांक 04.08.2019 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि राज्य सरकार के इस पत्र द्वारा जिला कलक्टर, सिरोही को निर्देश दिये गये है कि तहसीलदार, सिरोही को आदेश जारी कर राजीव नगर आवासीय योजना की उक्त भूमि की पूर्व स्थिति रिट संख्या 1251/2008 के पहले की तरह एस.सी. जाति के खातेदार का नाम राजस्व रेकर्ड में कायम रखते हुए तेजाराम के नियमानुसार वारिसान वसीयत अनुसार श्री छगनलाल पुराजी मेघवाल के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कराने का श्रम करे। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के स्पष्टीकरण परिपत्र क्रमांक प.6(54)राज–6/2001–पार्ट/21 दिनांक 19.11.2005 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा खातेदारी भूमि का अन्तरण केवल अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को ही किया जा सकता है। ऐसे विक्रय विलेख का पंजीयन संबंधित उप उपंजीयक द्वारा नही किया जायेगा तथा यदि कोई पंजीकरण कर भी दिया गया हो तो नामान्तरकरण खोलने की कार्यवाही नही की जायेगी एवं प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भी धारा 90 बी के अर्न्तगत कार्यवाही नही की जा सकती है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा नगर परिषद्, सिरोही के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश नही दिये है एवं मामला अभी माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित है तथा जब तक मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित है तब तक अनुसूचित जाति के व्यक्ति तेजाराम जी की खातेदारी कृषि भूमि जो प्रश्नगत नामान्तरकरण के द्वारा नगर परिषद्, सिरोही के नाम दर्ज की गई है, की पूर्ववर्ती स्थिति बहाल रखी जाना न्यायोचित है। अतः अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 2220 के स्वीकृति आदेश को निरस्त करने व राजस्व रेकर्ड की पूर्ववर्ती स्थिति बहाल करने के आदेश पारित किय जावे। जबकि प्रत्यर्थी संख्या–1 (नगर परिषद्, सिरोही) के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट संख्या 1251/2008 में पारित निर्णय दिनांक 11.10.2017 की पालना में तहसीलदार, सिरोही द्वारा नगर पालिका, सिरोही (वर्तमान नगर परिषद्, सिरोही) के पक्ष में दायर नामान्तरकरण संख्या 2220 को दिनांक 08.12.2017 को स्वीकृत किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.10.2017 के विरुद्ध अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की खण्ड पीठ में अपील प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की खण्ड पीठ द्वारा डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्याः 1103/2017 में पारित निर्णय दिनांक 19.08.2019 के द्वारा नगर परिषद्, सिरोही को अपीलार्थी संख्या 1 से 4 अर्थात इस अपील के अपीलार्थी संख्या 1 व 2 तथा प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 प्रत्येक को 30X60 कुल 1800 वर्गफीट का भूखण्ड निःशुल्क दिये जाने के आदेश पारित किये गये है। चूंकि प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 2220 को तहसीलदार, सिरोही द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के उक्त निर्णय दिनांक 11.10.2017 की पालना में स्वीकृत किया गया है एवं अभी तक माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.10.2017 प्रभाव में है। अतः अपीलार्थीगण की अपील को खारिज किया जावे। पैरोकार सरकार ने भी बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के उक्त निर्णय दिनांक 11.10.2017 की पालना में स्वीकृत किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या–5 (पांच) के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि अपीलार्थीगण की वादग्रस्त भूमि को श्री तेजाराम ने अपने जीवनकाल में प्रत्यर्थी संख्या पांच को दिनांक 10.05.2010 को वसीयतनामा कर दी थी। इसके बाद उक्त भूमि का एक मात्र मालिक प्रत्यर्थी संख्या पांच श्री छगनलाल पुत्र श्री पुराजी है। उक्त प्रकरण में एससी की कृषि भूमि होने की वजह से शुरू से एससी के पास ही पूर्ववत कायम रही व अभी तक के सभी राजकीय आदेशों से भी इस भूमि को कानूनन एससी की ही रखी गई है। यह कि प्रकरण के नामान्तरकरण संख्या 2220, जिसे तहसीलदार सिरोही ने राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होने एवं आर.टी.एक्ट की धारा 42ख की मंशा के विपरीत खोले जाने से दिनांक 29.06.2005 को पहले ही

जिला कलेक्टर, सिरोही

....पेज चार पर

Scanned with CamScanner

अस्वीकार कर एस.सी. को इस भूमि में पूर्ववत कायम रखा। बाद में इसी नामान्तरकरण संख्या 2220 को स्वीकृत करने का राज्य सरकार से न तो कभी कोई आदेश प्राप्त है और न ही 34 वर्ष पुराने विवादित इस भूमि प्रकरण के अस्वीकार नामान्तरकरण को दुबारा स्वीकृत करने के लिए राज्य सरकार से कोई मार्गदर्शन मांगा गया, तथापि गैर एससी संस्था को अनितिगत, अनवांछित फायदा पहुंचाने, एससी की इस भूमि को फंसा व उलझाकर जबरन हडपने के लिए जब डीबी में उक्त प्रकरण निर्णयाधीन था, तब भी स्थानीय राजस्व विभाग ने सिंगल बैंच के निर्णय की गलत व्याख्या कर व बिना किसी राज्याज्ञा के दिनांक 08.12.2017 को नामान्तरकरण स्वीकृत करके बड़ी कानूनी भूल की, जिसके लिए उत्तरदायियों के खिलाफ सरकार ने पहले की तरह फिर से वर्ष 2022 से उत्तरदायियों के विरूद्ध कार्यवाही के आदेश दे रखे है और नामान्तरकरण दुरूस्त कर वसीयत अनुसार श्री छगनलाल पुत्र पुराजी मेघवाल के नाम राजस्व रेकर्ड में अगल दरामद किए जाने के राजस्व(ग्रुप–7) विभाग द्वारा दिनांक 04.04.2019 को आदेश दे रखे है। यह कि इसी भूमि का एक और नामान्तरकरण संख्या 2427 को दिनांक 20.03.2006 को स्वीकृत किया था, जिसको राज्य सरकार राजस्व ग्रुप–6 द्वारा एस.सी. के पक्ष में जारी पत्रादेश दिनांक 13.11.2006 की पालना में दिनांक 29.12.2006 को निरस्त कर दिया गया है। अतः प्रत्यर्थी संख्या पांच के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में मुख्यतः एस.सी. की कृषि भूमि का गैर एस.सी. तत्कालीन नगरपालिका सिरोही हाल नगर परिषद सिरोही के नाम से स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2220 को निरस्त/शुद्धिकरण कराने एवं वसीयत अनुसार श्री छगनलाल पुत्र श्री पुराजी मेघवाल निवासी गोयली के नाम फौतेदगी नामान्तरकरण पारित कराने का निवेदन किया गया।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि हल्का पटवारी, सिरोही द्वारा ग्राम सिरोही द्वितीय, पटवार हल्का सिरोही में स्थित श्री तेजाराम पुत्र तोला जी, जाति–मेघवाल, निवासी– सिरोही की खातेदारी भूमि का नगर पालिका, सिरोही (वर्तमान नगर परिषद, सिरोही) के पक्ष में दायर नामान्तरकरण संख्या 2220 को तहसीलदार, सिरोही द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट संख्याः 1251/2008 में पारित निर्णय दिनांक 11.10.2017 की पालना में दिनांक 08.12.2017 को स्वीकृत किया गया है। उक्त स्वीकृत नामान्तरकरण के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही के सक्षम अपीलांट द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जिसे न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा खारिज किए जाने से अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर में प्रस्तुत की गई, जिसे माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा आंशिक स्वीकार करते हुए इस न्यायालय को सुनवाई हेतु प्रेषित किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि तहसीलदार, सिरोही द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 2220 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट संख्याः 1251/2008 में पारित निर्णय दिनांक 11.10.2017 की पालना में स्वीकृत किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के उक्त आदेश दिनांक 11.10.2017 के विरूद्ध उपरोक्त अपीलांटगण द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की खण्डपीठ में डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्याः 1103/2017 में पारित निर्णय दिनांक 19.08.2019 को यह आदेश पारित किया गया है–

"In Case, the state Government Passes any such order and decides to transfer/allot the land in question to the Municipal Board, it will be incumbent upon the Municipal Board to compensate the present appellants in appropriate manner and for such purpose, we feel that to meet the ends of justice it will be apt to direct the Municipal Board to allot to one plot admeasuring 30'X60' (1800 Sq.ft.) each to the appellants Nos. 1 to 4 (total 4 plots), free of cost.

The appeal is partly allowed, in the above terms.

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की खण्ड पीठ द्वारा डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्याः 1103/2017 में पारित निर्णय दिनांक 19.08.2019 के विरूद्ध भी अपील/रिट माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में प्रस्तुत की गई, जो अभी विचाराधीन है। चूंकि तहसीलदार, सिरोही द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 2220 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट संख्याः 1251/2008 में पारित निर्णय दिनांक 11.10.2017 की पालना में स्वीकृत किया गया है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की खण्ड पीठ द्वारा डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्याः 1103/2017 में पारित निर्णय दिनांक 19.08.2019 के विरूद्ध पक्षकारान द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में अपील/रिट प्रस्तुत की जा चुकी है, जो अभी लम्बित है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में विचाराधीन अपील/रिट में निर्णय पारित किए जाने से

जिला कलेक्टर, सिरोही

....पेज 5: पर

Scanned with CamScanner

पूर्व इस प्रकरण में निर्णय पारित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है एवं प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा निर्णय पारित किए जाने से पूर्व इस न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किए जाने से अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण के सुखाधिकारों का हनन होने की भी संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपीलार्थीगण की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर,सिरोही

न्यायालय जिला कलक्टर
सिरोही (राज०)

Scanned with CamScanner